Serial No. 628 Circle:-

635

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR 1541 श्री अक्षय कुमार सिन्हा पिता स्व. सचिन्द्र मोहन सिन्हा

Deed No. 631

AB 940903

Serial No. 628 24/12/19

साकिन खंजरपुर थाना- अमरपुर जिला- बांका

1000x1=1000/-

बिहार सरकार

जिला निबंधन कार्यालय, बांका

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **15/01/2020** को **Ramkrishna Sinha** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमे रू0 **90900** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **30550** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **631** के रूप में पुस्तक स0 **1** की जिल्द सं0 **8** के पृष्ठ सं0 **534** से **543** तक **CD 2** में आज निबंधित एवं कुल **10** पृष्ठों में संधारित किया गया।

रवि रंजन
निबंधन पदाधिकारी

बिहार सरकार

स्कैन न. 635/2020

दिनांक- **15/01/2020**

प्रभारी लिपिक
जिला अवर निबन्धन कार्यालय
बांका

1.लेख्यकारीगण :- (1) श्री रामकृष्ण सिन्हा उम्र 38 वर्ष पिता श्री अक्षय कुमार सिन्हा (2) श्री अक्षय कुमार सिन्हा उम्र 70 वर्ष पिता स्व0 सचिन्द्र मोहन सिन्हा जाति कायस्त उत्तर राढी श्रेणी पेशा 1 का व्यवसायी वो समाज सेवा 2 का सरकारी सेवा निवृत वो समाज सेवा निवासी ग्राम खंजरपुर थाना अमरपुर जिला बांका वर्तमान निवास सुरखीकल तिलकामाझी भागलपुर राष्ट्रीयता भारतीय।

मो0 नं0 9431214162

Ramkrishna Sinha
15/01/2020

District Registry Office,Banka

Token Number 635 | Reg. Year 2020 | Serial Number 628 | Deed Number 631

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Lessee	Akshay Kumar Sinha (President) Sig. अक्षय कुमार सिन्हा 15/1/2020						
Lessor	Akshay Kumar Sinha Sig. अक्षय कुमार सिन्हा 15/1/2020						
Presented By	Ramkrishna Sinha Sig. Ramkrisha Sinha 15/1/2020						
Lessor	Ramkrishna Sinha Sig.	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Identified By	Ajay Kumar Sinha Sig. अजय कुमार सिन्हा 15/01/2020						

SCORE Ver.4.0 | Powered by IL&FS Technologies Ltd. | Biometric Captured By 2300sop012

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I-A, No. '35'.'||' Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 90900/-

Addl.Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs.	120450/-

Registration Fee (FEE PAID)

A1	30300	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	30300

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 250

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 30550

Registering Officer
Banka

Date: 15/01/2020

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Banka on Wednesday, 15th January 2020 by Ramkrishna Sinha Akshay Kumar Sinha by profession Business. Status - Lessor

Registering Officer
Banka

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:15/01/2020

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Ajay Kumar Sinha' age '55' Sex 'M', 'Sachindra Mohan Sinha', resident of 'At- Khanjarpur, Amarpur, Banka'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Banka

Date : 15/01/2020

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Banka in Book 1 Volume No. 8 on pages on 534 -543, for the year 2020 and stored in CD volume No. CD-2 year 2020. The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Banka

Date : 15/01/2020

Token No. : 635 **Year : 2020** **S.No. :** 628 **SCORE Ver.4.1** **Deed No . :d No . :** 631

2.लेख्यधारी :– चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर – वड़ीयम पत्रालय भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका। अध्यक्ष श्री अक्षय कुमार सिन्हा उम्र 70 वर्ष पिता स्व0 सचिन्द्र मोहन सिन्हा निवासी ग्राम खंजरपुर थाना अमरपुर जिला बांका वर्तमान निवास सुरखीकल तिलकामाझी भागलपुर राष्ट्रीयता भारतीय। PAN- AACTC4325L

3.लेख्यप्रकार :– लीज एग्रीमेण्ट पट्टा पत्र (29 उनतीस वर्षों के लिए)।

4. मूल्य :–101,00,000/ का 15% = 15,15000/रूपये।

5.सम्पत्ति विवरण :– (क) भूमि मोवाजी 1 ए0 58 डी0 (एक एकड़ अनठावन डिसमल) जमीन नगदी जिसका जमा सलाना 50/ रूपये माल शेष वाके मौजा बड़ीयम थाना वो अंचल अमरपुर जिला बांका थाना स0 318 जमीन व्यवसायिक है। मुल्य 79,00,000/रूपये।

खाता	खेसरा	डी0	जमावंदी सं0	मूल्य रूपये मे
पु0 25	न0 173 पु0 127	13	500	6,50,000/–
चक 59 नया 51 पु0 51	161 175 128	07	500	3,50000/–
चक 59 नया 51 पु0 51	157 171 126	3.5	500	1,75,000/–
चक 131 नया 111 पु0 55 ख	160 174 128	17	501	8,50,000/–

(ख) भूमि मोवाजी 07 सात डीसमल जमीन नगदी जिसका जमा सलाना 02 रूपये माल शेष वाके मौजा खंजरपुर थाना वो अंचल अमरपुर जिला बांका थाना स0 460 जमीन व्यवसायिक है। जमावंदी सं0 402 अक्ष्य कुमार सिन्हा के नाम से है।

चक खाता 151 नया खाता 144,145 चक खेसरा 486, 483 नया खेसरा 453,450 है। मुल्य 385,000/रूपये।

खाता	खेसरा	डी0
पु0 78	368	07

उत्तर	दक्षिण	पुरव	पश्चिम
ग्रमीण सड़क	इमरोज ट्रस्ट	चादंसी पासवान वो राम दास चौधरी	रामेश्वर प्र0 चौधरी

(ग) भूमि मोवाजी 33 तेतीस डीसमल जमीन नगदी जिसका जमा सलाना 10 रूपये माल शेष वाके मौजा भदरिया बुजुर्ग थाना वो अंचल अमरपुर जिला बांका थाना स0 418 जमीन व्यवसायिक है। जमावंदी सं0 637 है। मुल्य 18,15,000/रूपये।

खाता	खेसरा	डी0
चक 88 नया 322 पु0 73	9 7 2	33

उत्तर	दक्षिण	पुरव	पश्चिम
डाड़ वो रामकृष्ण सिन्हा	रामकृष्ण सिन्हा	दीप नारायण सिंह	मीरा सिन्हा

तीनो विवरण का कुल रकवा 01–98 एक एकड़ अनठानवे डी0।

चक 131 नया 111 पु0 55 ख	125 141 126	07	501	3,50,000/
चक 65 नया 58 पु0 5	131 145 107	58	493	29,00,000/
चक 65 नया 58 पु0 42	168 155 123	23	493	11,50,000/
चक 65 नया 58 पु0 42	170 156 125	19	493	9,50,000/
चक 59 नया 51 पु0 51	157 171 126	3.5	500	175,000/
चक 59 नया 51 पु0 51	161 175 128	07	500	350,000/
	1ए0 58 डी0			79,00,000/

उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
इमरोज ट्रस्ट, रामेश्वर चौधरी वो भोला चौधरी	बड़ीयम डांड़	बिनोद प्रसाद सिंह वो चांदसी पासवान गै0	रामचन्द्र सिन्हा वो शिव प्रसाद सिंह

15/1/2020

Ram Krishna Sahu
15/01/2020

होगा। लेख्यकारी को शर्त अनुसार किराया पाने का अधिकार होगा।

ट्रस्ट को अपने कार्य हेतु जमीन की आवश्कता नहीं होने पर जमीन लेख्यकारी को सुपुर्द कर देंगे वो लीज पत्र से मुक्त हो जायेंगे।

लीज की अवधि अन्तराल किसी अन्य पक्ष द्वारा उपरोक्त जमीन संबंधित स्वामित्व अधिकार का दावा किया जायेगा वो वाद प्रस्तुत किये जाने पर सुरक्षा का दायित्व लेख्यकारी का रहेगा। स्वामित्व वो अधिकार मे कमी के कारण ट्रस्ट को उपरोक्त जमीन या जमीन का अंश से बेदखल होना पडे तो लेख्यकारी आर्थिक क्षतिपूर्ति करने के उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त जमीन का सलाना राजस्व कर भुगतान लेख्यकारी के द्वारा किया जायेगा।

लीज की अवधि तक लेख्यकारी किसी अन्य पक्ष या किसी अन्य संस्था के पक्ष मे उपरोक्त जमीन बिक्री या लीज नही करेंगे।

समाप्ती के बाद उपरोक्त जमीन को खाली कर सभी चल अचल संपत्ति को हटाकर लेख्यकारी को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

अवधि समाप्ती के बाद ट्रस्ट अध्यक्ष के आग्रह पर लेख्यकारी के सहमति से लीजपत्र का नवीकरण निबंधित लीज पत्र के द्वारा किया जायेगा।

चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर - बड़ीयम पत्रालय भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका उपरोक्त जमीन का सब लीज संबंधित बिभाग के पक्ष मे निस्पादित करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे। इसके लिये लेख्यकरियों का कोई विरोध नही होगा।

ट्रस्ट संबंधित निर्माण हेतु ट्रस्ट के द्वारा कर्ज लेने पर कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी।

ट्रस्ट के द्वारा लिया गया कर्ज, लेन-देन, लाभ-हानि,

तीनों विवरण की जमीन का लेख्यकारी को स्वामित्व अधिकार है। चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर – बड़ीयम पत्रालय भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका को शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिये जमीन की आवश्यकता हुई।

उपरोक्त जमीन लेख्यकारियों से किराया पर मांग किया। लेख्यकारियों ने लाभ – हानि को समझकर निम्न. शर्तो पर चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर–बड़ीयम पत्रालय भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका के पक्ष में उपरोक्त जमीन का लीज 29 उनतीस वर्षों के लिये किराये पर देने को राजी हुये।

किराये की राशि 30,000/– तीस हजार रूपये प्रति वर्ष तय किया गया। प्रत्येक तीन वर्षो के बाद मूल किराये की राशि में 10% की वृद्धि की जायेगी। तय किया गया किराये की राशि देना लेख्यधारी ने स्वीकार किया। किराये की राशि प्रत्येक वर्ष के अंतिम माह में एक मुस्त भुगतान करना होगा।

लेख्यकारी ने अपनी इच्छा वो परिवार के सहमति से चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर – बड़ीयम पत्रालय भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका के पक्ष में पट्टापत्र खुशी से लिख दिया।

लेख्यधारी खाना स0 05 वाली जमीन पर चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर – बड़ीयम पत्रालय भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका संबंधित निर्माण के लिए कार्य आवश्यकता अनुसार करा लें। निर्माण का कुल हक, दायित्व व स्वामित्व चन्द्रकला सिन्हा एजुकेशनल ट्रस्ट,खंजरपुर–वड़ीयम पत्रालय भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका का रहेगा। इसके लिए लेख्यकारी कोई आपत्ती नहीं करेंगे। लीज की अवधि तक लेख्यकारी को पट्टे में दिये गए जमीन खाली करवाने का अधिकार नहीं

Ram Krishna Sinha
13/01/2020

संपत्ति बिबरण (क) वाली जमीन का जमावंदी सं0 500 राम कृष्ण सिन्हा के नाम से है। जमीन अजय कुमार सिन्हा निवासी खंजरपुर थाना अमरपुर जिला बांका से

दिनांक 07/03/2018 को खरीद किया है। टोकन सं0 3445 दसतावेज सं0 3360 है। जमावंदी सं0 501 राम कृष्ण सिन्हा के नाम से है। जमीन अक्षय कुमार सिन्हा निवासी खंजरपुर थाना अमरपुर जिला बांका से दिनांक 07/03/2018 को दान मे प्राप्त है। टोकन सं0 3441 दसतावेज सं0 3359 है। जमावंदी सं0 493 राम कृष्ण सिन्हा के नाम से है। जमीन माताजी (चन्द्रकला सिन्हा) की है। माताजी के स्वर्गवासी के बाद जमावंदी पुत्र के नाम से कायम हुआ। जमाबन्दी सं0 500 की जमीन अक्षय कुमार सिन्हा की खरीदगी जमीन है। जो अरविन्द कुमार सिन्हा निवासी खंजरपुर थाना अमरपुर जिला बांका से खरीद किया है। बिक्रयपत्र दिनांक 16/06/2017 को निबंधन हुआ है। टोकन सं0 9070 दस्तावेज सं0 8574 है।

संपत्ति बिबरण (ख) वाली जमीन अक्षय कुमार सिन्हा ने रामेश्वर चौधरी निवासी खंजरपुर थाना अमरपुर जिला बांका से खरीद किया है। बिक्रयपत्र दिनांक 9/3/2017 को बिंधन हुआ। टोकन सं0 3104 दस्तावेज सं0 2929 है। अंचल कार्यालय, अमरपुर मे नाम दर्ज कराकर जमावंदी रशीद प्राप्त किया । जमावंदी सं0 402 है। इन्होंने उक्त जमीन रामकृष्ण सिन्हा को दान दे दिया। निबंधन दिनांक 20/06/2018 है। दस्तावेज सं0 10419 टोकन सं0 10851 है।

संपत्ति बिबरण (ग) वाली जमीन राम कृष्ण सिन्हा को पिताजी (अक्षय कुमार सिन्हा) से दान मे प्राप्त है। निबंधन दिनांक 20/06/2018 टोकन सं0 10851 दस्तावेज सं0 10419 है।

निबंधन कार्यालय

किसी प्रकार का टैक्स या बिवाद से लेख्यकारियों को कोई सरोकार नही रहेगा।

समय–समय पर किराया राशि भुगतान न करने पर लेख्यधारी नियम के पायबन्द होयेंगे।

लीज पत्र में लिखे गये सभी शर्त दोनो पक्षों के उत्तराधिकारी के लिए भी मान्य रहेगा।

ट्रस्ट के पक्ष में लीज पत्र लिख दिया तथा पढ़कर वो अपने शुभचिन्तकों से पढ़वाकर समझ लिया। लिखे गये सभी तथ्यों को स्वीकार कर राजी खुशी से हस्ताक्षर बना दिया वो वायें हाथ की अंगुलियों का निशान लगा दिया जो प्रमाण रहे।

Ramkrishna Saha
15/01/2020

15/1/2020

दस्तावेज 8 पृष्ठों मे तैयार किया गया।

प्रारूपक

दिनांक 15 माह जनवरी 2020 ई0

Serial No. 1595 Circle Book No. :- 1 Deed No. 1588

T: 1623

भारत ... गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR 714 30/12/2020

Serial No. 1595 Deed No. 1588

श्री रामकृष्ण सिन्हा पिता श्री अक्षय कुमार सिन्हा खंजरपुर थाना अमरपुर जिला बांका 500/- 500

Rajiv Lochan Mishra
Stamp Vender
Lic. No. 20/34
Court Compound, Banka

बिहार सरकार
जिला निबंधन कार्यालय, बांका

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **27/01/2021** को **Ramkrishna Sinha** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमे रू0 **22080** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **7860** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **1588** के रूप में पुस्तक सं0 **1** की जिल्द सं0 **20** के पृष्ठ सं0 **586** से **592** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल **7** पृष्ठों में संधारित किया गया ।

रवि रंजन
निबंधन पदाधिकारी

दिनांक **27/01/2021** टोकन न. **1623 / 2021**

निबंधित

1.लेख्यकारी :–

श्री रामकृष्ण सिन्हा उम्र 39 वर्ष पिता श्री अक्षय कुमार सिन्हा जाति कायस्त उत्तर राढ़ी श्रेणी पेशा व्यवसायी वो समाज सेवा निवासी ग्राम खंजरपुर थाना अमरपुर जिला बांका। वर्तमान निवास सुरखीकल तिलकामांझी जिला भागलपुर भारतीय।

मो0 नं0 – 9431214162 आधार सं0 3087 2889 9707

Ramkrishna Sinha 25/01/2021

District Registry Office,Banka

Token Number 1623	Reg. Year 2021	Serial Number 1595	Deed Number 1588

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Lessee	Akshay Kumar Sinha (President)						
Sig.	अक्षय कुमार सिन्हा 27/1/021						
Presented By	Ramkrishna Sinha						
Sig.	Ramkrishna Sinha 27/01/2021						
Lessor	Ramkrishna Sinha	× Photo	× Thumb	× Index	× Middle	× Ring	× Little
Sig.							
Identified By	Ajay Kumar Sinha						
Sig.	अजय कुमार सिन्हा 27/1/021						

2.**लेख्यधारी** :– चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर बड़ीयम पत्रा0 भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका। अध्यक्ष श्री अक्षय कुमार सिन्हा उम्र 71 वर्ष पिता स्वर्गीय सचिन्द्र मोहन सिन्हा निवासी ग्राम खंजरपुर थाना अमरपुर जिला बांका। वर्तमान निवास सुरखीकल तिलकामांझी जिला भागलपुर भारतीय।
मो0 – 9470628689 आधार सं0 7986 3018 3243

3.**लेख्यप्रकार** :– लीज एग्रीमेण्ट पट्टा पत्र (29 उनतीस वर्षो के लिए)

4.**मूल्य मो0** :– 24,50,000/– चौबीस लाख पचास हजार रूपये का 15% = 3,67,500/– तीन लाख सढसठ हजार पांच सौ रूपये।

5.**सम्पत्ति विवरण** :–
भूमि मोवाजी 49 उनचास डीसमल जमीन नगदी जिसका सलाना राजस्व कर मो0 25/ रू0 माल अलावे शेष वाके मौजा बड़ीयम थाना वो अंचल अमरपुर जिला बांका थाना सं0 318 हल्का भदरिया। जमीन व्यवसायिक है।

खाता	खेसरा	डी0	उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम	मूल्य
चक 65 सर्वे 58 पु0 42क	155 168 123	11.5	लेख्यधारी	डांड़	बिनोद कु0 सिंह	लेख्यधारी	575,000
चक 65 सर्वे 58 पु0 42क	156 170 125	12.5	लेख्यधारी	डांड़	लेख्यधारी	लेख्यधारी	625,000
चक 65 सर्वे 58 पु0 42	156 170 125	25	लेख्यधारी वो बिनोद कु0 सिंह	बड़ीयम डांड़	बिनोद कु0 सिंह	लेख्यधारी	12,50,000
	कुल	49					24,50,000

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the India Stamp Act, 1899, Schedule I-A, No. '35'.'||' Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 22080/-**	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs.**	500/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act **Rs. 0/-**	Amt.paid through Bank Challan	**Rs.**	29440/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	**7360**	C	**0**	H1b	**0**	K1a	**0**	Lii	**0**
A8	**0**	D	**0**	H2	**0**	K1b	**0**	Liii	**0**
A9	**0**	DD	**0**	I	**0**	K1c	**0**	Mb	**0**
A10	**0**	E	**0**	J1	**0**	K2	**0**	Na	**0**
B	**0**	H1a	**0**	J2	**0**	Li	**0**	**TOTAL-**	**7360**

LLR + Proc Fee

LLR	**0**
Proc.Fee	**0**
Total	**0**

Service Charge: **500**

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 7860

Registering Officer
Banka

Date: 27/01/2021

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Banka on Wednesday, 27th January 2021 by Ramkrishna Sinha Akshay Kumar Sinha by profession Business. Status - Lessor

Ramkrishna Sinha
27/01/2021
Signature/L.T.I. of Presentant

Date:27/01/2021

Registering Officer
Banka

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Ajay Kumar Sinha' age '55' Sex 'M', 'Sachindra Kumar Sinha', resident of 'At- Khanjarpur, Amarpur, Banka'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Banka

Date : 27/01/2021

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Banka in Book 1 Volume No. 20 on pages on 586 -592, for the year 2021 and stored in CD volume No. CD-4 year 2021 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Bank

Date : 27/01/2021

Token No. : 1623 **Year : 2021** **S.No. : 1595** **SCORE Ver.4.1** **Deed No . :d No . : 158**

उपरोक्त कुल जमीन लेख्यकारी की खरीदगी संपत्ति है। 24 डी0 जमीन बिनोद कुमार सिंह पिता सिपाही मंडल निवासी मुखेरिया थाना जगदीशपुर जिला भागलपुर से खरीद किया है। टोकन सं0 8947 दस्तावेज सं0 8789 दिनांक 14/9/020 है। 25 डी0 जमीन दीप नारायण मंडल पिता शुकदेव मंडल निवासी भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका से खरीद किया है। टोकन सं0 9324 दस्तावेज सं0 9103 दिनांक 19/9/020 है। दोनो दस्तावेज जिला अवर निबंधन कार्यालय बांका में निबंधन हुआ है।

लेख्यकारी को स्वामित्व अधिकार है।

चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर बड़ीयम पत्रा0 भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका को शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए जमीन की आवश्यकता हुई।

उपरोक्त जमीन लेख्यकारी से किराया पर मांग किया। लेख्यकारी ने लाभ – हानि को समझकर निम्न शर्तो पर चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर बड़ीयम पत्रा0 भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका के पक्ष में उपरोक्त जमीन 29 उनतीस वर्षो के लिये किराये पर देने को राजी हुये।

किराये की राशि 10,000/– दस हजार रुपये प्रति वर्ष तय किया गया। प्रत्येक तीन वर्षो के बाद मूल किराये की राशि में 10% की वृद्धि की जायेगी। तय किया गया किराये की राशि देना लेख्यधारी ने स्वीकार किया। किराये की राशि प्रत्येक वर्ष के अंतिम माह में एक मुस्त भुगतान करना होगा।

लेख्यकारी ने अपनी इच्छा वो परिवार के सहमति से चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर बड़ीयम पत्रा0 भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका के पक्ष में पट्टापत्र खुशी से लिख दिया।

Ramkrishna Sinha
25/01/2021

लेख्यधारी खाना सं0 05 वाली जमीन पर चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर बड़ीयम पत्रा0 भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका संबंधित निर्माण के लिए कार्य आवश्यकतानुसार करा लें । निर्माण का कुल हक, दायित्व वो स्वामित्व चन्द्रकला सिन्हा एजुकेशनल ट्रस्ट, खंजरपुर बड़ीयम पत्रा0 भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका का रहेगा। इसके लिए लेख्यकारी कोई आपत्ती नहीं करेंगे। लीज की अवधि तक लेख्यकारी को पट्टे में दिये गये जमीन खाली करवाने का अधिकार नहीं होगा। लेख्यकारी को शर्त अनुसार किराया पाने का अधिकार होगा।

ट्रस्ट को अपने कार्य हेतु जमीन की आवश्यकता नहीं होने पर जमीन लेख्यकारी को सुपुर्द कर देंगे वो लीज पत्र से मुक्त हो जायेंगे।

लीज की अवधि अन्तराल किसी अन्य पक्ष द्वारा उपरोक्त जमीन संबंधित स्वामित्व अधिकार का दावा करने वो वाद प्रस्तुत किये जाने पर सुरक्षा का दायित्व लेख्यकारी का रहेगा। स्वामित्व वो अधिकार में कमी के कारण ट्रस्ट को उपरोक्त जमीन या जमीन के अंश से बेदखल होना पड़े तो लेख्यकारी आर्थिक क्षतिपूर्ति करने के उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त जमीन का सलाना राजस्व कर भुगतान लेख्यकारी के द्वारा किया जायेगा।

लीज की अवधि तक लेख्यकारी किसी अन्य पक्ष या किसी अन्य संस्था के पक्ष में उपरोक्त जमीन बिक्री या लीज नहीं करेंगे।

अवधि समाप्ति के बाद ट्रस्ट अध्यक्ष के आग्रह पर लेख्यकारी के सहमति से लीजपत्र का नवीकरण निबंधित लीज पत्र के द्वारा किया जायेगा।

चन्द्रकला सिन्हा ज्ञानोदय ट्रस्ट, खंजरपुर बड़ीयम पत्रा0 भदरिया थाना अमरपुर जिला बांका उपरोक्त जमीन का सबलीज संबंधित विभाग के पक्ष में

Ram Krishna Singh
25/01/2021

निस्पादित करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे। इसके लिये लेख्यकारी का कोई विरोध नही होगा।

ट्रस्ट संबंधित निर्माण हेतु ट्रस्ट के द्वारा कर्ज लेने पर कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी।

ट्रस्ट के द्वारा लिया गया कर्ज, लेन–देन, लाभ–हानि, किसी प्रकार का टैक्स या विवाद से लेख्यकारी को कोई सरोकार नही रहेगा।

समय–समय पर किराया राशि भुगतान ना करने पर लेख्यधारी नियम के पायबंद होयेंगे।

ट्रस्ट के पक्ष में लीज पत्र लिख दिया तथा पढ़कर वो अपने शुभचिन्तकों से पढ़वाकर समझ लिया। लिखे गये सभी तथ्यों को स्वीकार कर राजी खुशी से हस्ताक्षर बना दिया वो बांये हाथ की अंगुलियों का निशान लगा दिया जो प्रमाण रहे।

Ram Krishna Sinha
25/01/2021

दस्तावेज 5 पृष्ठों में तैयार किया गया।

प्रारूपक

दिनांक 25 माह जनवरी सन् 2021 ई0